न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 47 / 2017

1–घूरेलाल पुत्र श्री पीतमसिंह । समस्त जातिगण त्यागी निवासीगण ग्राम सरकन खेड़ा
2–रामेश्वर । पुत्रगण पंचमसिंह । तहसील व जिला धौलपुर
3–जगदीश । । .....वादीगण

बनाम

1–बहादुर । पुत्रगण मुरली । समस्त जातिगण तेली निवासी ग्राम सरकनखेड़ा
2–पीरू । । तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान
3–अलीवक्स । पुत्रगण बहादुर ।
4–जुम्मा । ।
5–बलुआ । ।
6–शाखा प्रबन्धक भारतीय महिला बैंक वर्तमान बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा कचहरी रोड धौलपुर राज0 .....प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट एवं 92 ए आरटीएक्ट)

उपस्थिति : श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट,वादीगण

निर्णय दिनांक : 10.02.2025

वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व वाद वावत् स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 118 रकवा 8 विस्वा, 129 रकवा 12 विस्वा बाकै ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर के वादी संख्या 1 1/2 भाग एवं वादी संख्या 2 व 3 1/2 भाग के अभिलिखित खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 119 जिसके पूर्व में विवादित आराजी खसरा नम्बर 129, पश्चिम में विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 एवं दक्षिण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 118 स्थित है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी की ओर दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, नाली, परनाले एवं रास्ता, सीढ़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण लठ्ठ चलाव वाले राजनैतिक संरक्षण प्राप्त धनवान, बलवान लोग है। जो अपने अधिकार खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 119 में बिना सक्षम अधिकारी के भूमि रूपान्तरण कराये एवं बिना निर्माण स्वीकृति के भवन निर्माण पुख्ता कर रहे है। दिनांक 17.05.2017 को प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 119 में नींव खोदकर निर्माण शुरू किया तथा विवादित आराजी की ओर दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, नाली, परनाले एवं रास्ता, निर्माण की धमकी एवं गालीयां देते हुए जान से मारने की धमकी दी जिसकी शिकायत वादी संख्या 1 ने थाना सदर में दिनांक 17.5.2017 को ही की लेकिन प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभाव वाले होने के कारण तथा धन से प्रभावशाली होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाना सदर से कोई कार्यवाही आज तक नहीं दी गई है, बल्कि उनका निर्माण कार्य जारी है। आम लोगों की पंचायते भी बुलाई लेकिन प्रतिवादीगण अपनी हठधर्मी पर है तथा निर्माण कार्य बदस्तूर चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी के दक्षिण–पश्चिम कौने पर एक कमरे का निर्माण कर विवादित आराजी 118 की ओर खुलता हुआ एक दरवाजा कायम कर लिया, जब वादीगण ने उसे बंद किये जाने का निवेदन किया तो आमादा फसाद हो गये, और धमकी दी कि इसी प्रकार निर्माण कर

सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर (राज0)

समस्त विवादित आराजी की ओर दरवाजे, खिड़की रोशनदान, नाले, परनाले रास्ता सीढी का निर्माण करेंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी की ओर दरवाजा खिड़की, रोशनदान, नाली परनाले एंव रास्ता सीढी कायम नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर से उनके वकील उपस्थित आये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की एवं ना ही जबाबदावा प्रस्तुत किया दिनांक 23.09.2022 को प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के विरूद्ध दिनांक 16.01.2023 को बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2071–74, नक्शा अक्स, दानपत्र प्रति पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य हेतु वादीगण को पर्याप्त मौका दिया गया लेकिन उनकी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं हुई।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 188 के अधीन अनुतोष पाने के लिये वादी को स्वंय को टेनेन्ट सावित करना एवं कब्जा सावित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 74 के अनुसार वादीगण का विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व काबिज होना वखूवी सावित होता है। चूंकि वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार कृषक है जिस कारण वादी धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 118 रकवा 8 विस्वा, 129 रकवा 12 विस्वा बाकै ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर की ओर दरवाजा खिड़की, रोशनदान, नाली परनाले एंव रास्ता सीढी कायम नहीं करें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
धौलपुर (राज०)